ई–वे बिल सिस्टम

यूजर मैनुअल

विषय – सूची

1. परिचय

2. ई–वे बिल सिस्टम

3. ई–वे बिल सिस्टम के लिए पंजीकरण और नामांकन

4. ई–वे बिल सिस्टम को चलाना

5. ई–वे बिल के विकल्प

6. कंसोलिडेटेड ई–वे बिल बनाना

7. मास्टर्स के बारे में

8. ई–वे बिलों को अस्वीकार करना

9. विभिन्नरिपोर्ट के बाबत

10. सबयूजर का प्रबंध करना

11. ई–वे बिल बनाने के अन्य तरीकों के लिए पंजीकरण

12. पालन करते समय सर्वोत्तम अभ्यास

1.परिचय

1.1 पृष्ठभूमि

भारत में 1 जुलाई 2017 से प्रभाव के साथ भारत में माल और सेवा कर (जीएसटी) का परिचय भारत में अप्रत्यक्ष कर सुधारों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। पूरे भारत में बिना किसी बाधा के माल की त्वरित और आसान परिवहन के लिए, सभी चेक पोस्ट समाप्त कर दिए गए हैं। जीएसटी प्रणाली में ई–वे बिल का प्रावधान है, जो आम पोर्टल से इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी दस्तावेज है जो वाहन के प्रभारी व्यक्ति द्वारा रखा जाना है। ई–वे बिल प्रणाली को लागू करने के लिए, आईसीटी आधारित समाधान आवश्यक है। इसलिए, माल और सेवा कर (जीएसटी) परिषद द्वारा अनुमोदित के रूप में, एक वेब आधारित समाधान तैयार किया गया है जिसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया जाकर करदाताओं और ट्रांसपोर्टरों के उपयोग के लिए शुरू किया जा रहा है।

1.2 प्रयोजन व इसके हितधारक

इस दस्तावेज का उद्देश्य वेब आधारित ई–वे बिल सिस्टम का उपयोग करने के लिए परिचालन प्रक्रिया को समझाना है। इसके अलावा यह इस प्रणाली का उपयोग करने में हितधारकों की सुविधाओं और भूमिकाओं को बताता है।

यह दस्तावेज जीएसटी के तहत पंजीकृत करदाताओं के लिए और गैर–पंजीकृत ट्रांसपोर्टरों के लिए है, जो जीएसटी के तहत ई–वे बिल सिस्टम के मुख्य हितधारक हैं।

1.3 स्कोप

इस दस्तावेज के दायरे को शामिल किया गया है–

1. ई–वे बिल प्रणाली की समझाना
2. विभिन्न हितधारकों की गतिविधियों को बताना
3. ई–वे बिल प्रणाली के लिए पंजीकरण व एनरोल करने की प्रक्रिया
4. ई–वे बिल तैयार करने में शामिल प्रक्रियाएं समझाना
5. ई–वे बिल बनाने के विभिन्न तरीकों को समझाना
6. हितधारकों द्वारा सबयूजर्स को प्रबंधित करना

1.4 यूआरएल

http://ewaybill.nic.in

2. ई–वे बिल सिस्टम

2.1 वेट प्रणाली के तहत परिवहन पर लगने वाले फॉर्म

वेट प्रणाली के तहत परिवहन पर अधिसूचित वस्तुओं पर वैट–47 व वैट–49 फॉर्मों को माल के परिवहन के दौरान लगाया जाता था। उक्त विधिक फॉर्म वैट–47 व वैट–49 करदाता द्वारा अपने राजटैक्स के डीलर लॉग–इन पर जाकर जारी करना होता था। उक्त फॉर्म व्यवहारी द्वारा माल से संबंधित विगत भरी जाकर सिस्टम पर सेव की जाती थी तथा उसका प्रिंट माल के परिवहन के दौरान अन्य विधिक दस्तावेंजो यथा बिल–बिल्टी के साथ लगाया जाता था। उक्त वैट 47 फॉर्म अथवा वैट 49 फॉर्म राजस्थान राज्य के वैट के करदाता द्वारा राज्य के बाहर से माल आयात करने पर अथवा राज्य के बाहर माल भेजने पर जारी किया जाता था। यह कर चोरी की रोकथाम की सबसे सफल और कुशल प्रणालियों में से एक थी एवं ई–गवर्नेंस की पहल थी जो करदाताओं को त्वरित और कुशल सेवाएं प्रदान करती है।

2.2 जीएसटी के तहत ई–वे बिल सिस्टम

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की यूएसपी 'एक राष्ट्र– एक टैक्स – एक मार्केट'' है। अतः जीएसटी प्रणाली के तहत राज्यों के लिए अलग–अलग तरीके के माल के परिवहन पर लगने वाले विधिक ई–वे बिल निश्चित रूप से माल के परिवहन पर ई–वे बिल के अनुपालन को मुश्किल करेगा एवं करदाताओं व ट्रांसपोर्टरों को बिना किसी कारण के परे ाान करेगा। प्रत्येक राज्य के लिए अलग–अलग ई–वे बिल की ऐसी व्यवस्था से माल की आवाजाही और एक राज्य से दूसरे राज्य में मुक्त व्यापार में बाधा प्रस्तुत करता है। प्रत्येक राज्य द्वारा स्वतंत्र रूप से ई–वे बिल जारी किए जाने पर राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों को भी इस तरह के ई–वे बिलों का सत्यापन व जॉच करना मुश्किल हो जाता है।

अतः एक नई ई–वे बिल प्रक्रिया की आवश्यकता है जो करदाताओं एवं अन्य समस्त हितधारकों यथा ट्रांसपोर्टरों को प्रयोग करने में आसान हो एवं पूरे भारत में एक सी प्रक्रिया हो। जीएसटी की ई–वे बिल प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि करदाता/हितधारक/ट्रांसपोर्टर माल के परिवहन की विगत इस पोर्टल पर भरकर ई–वे बिल जनरेट करेगा एवं उक्त विगत इस पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। इससे करदाताओं/हितधारकों/ट्रांसपोर्टरों को पूरे भारत में माल के परिवहन के समय किसी प्रकार की विधिक परे ाानी नहीं होगी। इस प्रणाली में माल के परिवहन प्रारंभ होने से पहले माल व वाहन का विवरण वेब पोर्टल पर अपलोड करने के बाद ई–वे बिल जारी किया जावेगा तथा प्रत्येक ई–वे बिल का यूनिक आईडेंटिटी नंबर होगा।एक बार अपलोड किए जाने पर, पोर्टल ई–वे बिल जनरेट करेगा, इसे ट्रैक किया जा सकता है और इसे आसानी से सत्यापित किया जा सकता है।

2.3 जीएसटी नियम में ई–वे बिल

1. माल की आवाजाही और ई–वे बिल तैयार करने से पहले प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा दी जाने वाली सूचना।
2. सामान्य पोर्टल पर ई–वे बिल तैयार करने पर, एक यूनिक ई–वे बिल नंबर (ईबीएन) सप्लायर, प्राप्तकर्ता और ट्रांसपोर्टर को सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।
3. वाहन के प्रभारी व्यक्ति के पास निम्न दस्तावेज होने चाहिए – (ए) इनवोइस या बिल ऑफ सप्लाई या डिलीवरी चालान, जैसा भी मामला हो और (बी) ई–वे बिल या ई–वे बिल नंबर की एक प्रति

4. पोर्टल पर पंजीकृत ई–वे बिल का विवरण माल प्राप्तकर्ता को उपलब्ध कराया जाएगा, जो ई–वे बिल द्वारा प्रेषित माल की स्वीकृति या अस्वीकृति के बारे में निर्णय ले सकेगा।
5. ई–वे बिल को भरते समय वांछित सूचनाओं में से कुछ सूचना इस प्रकार है– 1) प्राप्तकर्ता के जीएसटीआईएन, 2) डिलीवरी का स्थान, 3) बिल ऑफ सप्लाई/इनवोइस/डिलीवरी चालान संख्या, 4) बिल ऑफ सप्लाई/इनवोइस/डिलीवरी चालान की तारीख, 5) माल की कीमत, 6) एचएसएन कोड आदि। उक्त सूचना का प्रयोग सामान्य पोर्टल पर पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को उपलब्ध है जो कि फॉर्म जीएसटी –1 में विवरण प्रस्तुत करने के लिए उपयोग कर सकते हैं।
6. राज्य द्वारा प्राधिकृत अधिकारी ई–वे बिल या ई–वे बिल नंबर को भौतिक रूप में माल के परिवहन व सत्यापन हेतु वाहन को रोक सकते है।
7. ट्रांजिट में माल की प्रत्येक निरीक्षण की एक संक्षिप्त रिपोर्ट निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा उचित प्रारूप में जांच के लिए 24 घंटे के भीतर Online दर्ज की जाएगी और निर्दिष्ट प्रारूप में अंतिम रिपोर्ट को निरीक्षण के तीन दिनों के भीतर दर्ज किया जाएगा।
8. जहां एक वाहन को 30 मिनट से ज्यादा की अवधि के लिए अवरोधित किया गया है और हिरासत में लिया गया है, उस केस में ट्रांसपोर्टर ई–वे बिल पोर्टल पर एक निर्दिष्ट प्रारूप में जानकारी अपलोड कर सकते हैं।

2.4 उद्देश्य

1. पूरे देश में सामानों के आवागमन के लिए सिंगल ई–वे बिल।
2. टैक्स की चोरी को रोकने के लिए
3. भारत भर में माल की निर्विघ्न आवाजाही।
4. ई–वे बिल नंबर के साथ माल की आवाजाही पर नजर रखने
5. अधिकारियों द्वारा ई–वे बिल का आसान सत्यापन।

2.5 हितधारक

ई–वे बिल को शुरू करने के पीछे उद्देश्य हितधारकों की उम्मीदों एवं चिंताओं को प्रभावी तरीके से आईसीटी के इस्तेमाल से समाधान करना है।

ई–वे बिल के चार प्रमुख हितधारक हैं–

1. आपूर्तिकर्ता(सप्लायर्स)– ई–वे बिल बनावें और अन्य पार्टी द्वारा अपने नाम के बनाए हुए ई–वे बिलों को अस्वीकार करें, अगर वह उनसे संबंधित नहीं है तो।
2. प्राप्तकर्ता(रिसीपेंट) – ई–वे बिल बनावें और दूसरे पक्ष द्वारा अपने नाम के ई–वे बिलों को खारिज कर दें, यदि वह उनसे संबंधित नहीं है तो।
3. ट्रांसपोर्टर – ई–वे बिल, कंसोलिडेटेड ई–वे बिल तैयार करें और करदाताओं द्वारा परिवहन के लिए उन्हें सौंपे गए ई–वे बिलों के वाहन नंबरों को अपडेट करें।
4. विभाग के अधिकारी – ई–वे बिल एवं ई– वे बिल के साथ परिवहनित माल को सत्यापित करें।

2.6 ई–वे बिल प्रणाली के फायदे

ई– वे बिल प्रणाली के प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं–

1. परिवहन के दौरान अधिकारियों द्वारा जांच पर मोबाइल स्क्वाड में औसत इंतजार का समय काफी कम हो जाता है । ई–वे बिल का सत्यापन ई– वे बिल पोर्टल के साथ किया जाता है,

एवं सत्यापन की प्रक्रिया ऑनलाइन होने से त्वरित होती है। अतः जांच में समय अत्याधिक कम लगने से परिवहनित माल व वाहन को यह सिस्टम तेजी से पारित करने की अनुमति देगा।

2. करदाताओं द्वारा इस प्रणाली में स्वनियंत्रण किया जाता है। ई–वे बिल बनाने के दौरान खरीदकर्ता की पहचान पोटर्ल पर दर्ज की जाती है जिससे खरीदकर्ता इस संव्यवहार को अपनी लेखा पुस्तकों में दर्ज करता है।
3. यह प्रणाली पर्यावरण के अनुकूल है। तथा इसमें कागज पर प्रिंट की आवश्यकता पूर्व प्रणालियों की तुलना में नगण्य के बराबर है।
4. इस प्रणाली के पूर्ण विकसित होने पर सप्लायर्स का जीएसटी –1 रिटर्न स्वतः ही तैयार हो जाएगा तथा सप्लायर्स को जीएसटी –1 रिटर्न करीब करीब तैयार मिलेगा।
5. अधिकारियों को करदाताओं के रिटर्न के साथ मैनुअल तरीके से ई–वे बिल के मिलान करने वाले नीरस काम से बचाव।

2.7 ई–वे बिल सिस्टम की विशेषताएं

1. यूजर फ्रैण्डली सिस्टम – यह प्रणाली उपयोगकर्ताओं के लिए बहुत आसान व अनुकुल है इसका ऑपरेटिंग का उपयोग बहुत आसान है।
2. ई–वे बिल बनाने के आसान व तेज तरीका–इस प्रणाली में प्रयोगकर्ता विभिन्न तरीकों से आसानी व तीव्र गति से ई–वे बिल बना सकता है।
3. इस प्रणाली में स्वतः नियंत्रण एवं त्रुटियों को दूर करने हेतु विभिन्न प्रकार के नियंत्रण दिये गए हैं जिनसे प्रयोगकर्ता द्वारा ई–वे बिल बनाने पर होने वाली गलतियों/त्रुटियों को दूर किया जा सके।
4. ई–वे बिल बनाने के लिए कई तरीके –इस प्रणाली में ई–वे बिल बनाने के विभिन्न तरीके हैं। उपयोगकर्ता ई–वे बिल बनान के तरीके को पंजीकृत कर सकते हैं और ई–वे बिल बनाने के लिए उनका उपयोग कर सकते हैं।
5. अपने डाटा मास्टर का निर्माण करना – उपयोगकर्ता के पास ग्राहक, आपूर्तिकर्ता, उत्पादों और ट्रांसपोर्टर जैसे अपने डाटा का मास्टर बनाने का प्रावधान है। ई–वे बिल को सृजित करते समय सिस्टम उस डाटा मास्टर को उपयोग करने की सुविधा देता है
6. सबयूजर का प्रबंधन – करदाता या पंजीकृत व्यक्ति ई–वे बिल के निर्माण के लिए सबयूजर बना सकता है। सबयूजर बनाने के उपरातं प्रयोगकर्ता उसमें संशोधन कर सकता है और उन्हें अपने कर्मचारियों या शाखाओं को आवश्यनुसार अनुसार आवंटित कर सकता है। यह प्रणाली सिस्टम पर सब यूजर्स द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाएं व गतिविधियों को प्रयोगकर्ता द्वारा नियंत्रण करने की सुविधा भी देता है।
7. करदाता के नाम से जारी ई–वे बिलों की निगरानी –यह प्रणाली पंजीकृत व्यक्ति को किसी भी अन्य व्यवहारी द्वारा उस करदाता के नाम से जारी ई–वे बिल को देखने तथा ई–वे बिलों की संख्या जानने के लिए सुविधा प्रदान करती है। इन ई–वे बिलों को,अगर वे उस करदाता से संबंधित नहीं हैं, अस्वीकार करने के लिए उपयोगकर्ता के पास विकल्प है।
8. ई–वे बिलों से जीएसटी –1 उत्पन्न करना– जारी किए गए ई–वे बिलों के आधार पर यह प्रणाली जीएसटी–1 से जुड़ी जानकारी उस करदाता के जीएसटीआर–1 रिटर्न में स्वतः भेज देगी एवं इससे करदाता ई वे बिल में दर्ज विवरण पुनः जीएसटीआर–1 में अपलोड करने से बच जाता है।

9. कंसोलिडेटेड ई–वे बिल – यह सिस्टम ट्रांसपोर्टर्स को कंसोलिडेटेड ई–वे बिल तैयार करने और एक वाहन में कई ई–वे बिल देने के बजाय वाहन के प्रभारी व्यक्ति को कंसोलिडेटेड ई–वे बिल देने की सुविधा देता है।
10. ई–वे बिल का उपयोग करने के लिए अपंजीकृत ट्रांसपोर्टरों को सक्षम करना – अपंजीकृत ट्रांसपोर्टरों के नामांकन के लिए इस प्रणाली में प्रावधान है और ई–वे बिल तैयार करने और वाहन नंबरों को अपडेट करने के लिए उन्हें प्रयोगकर्ता बनाने के लिए प्रावधान है।
11. करदाताओं की चेतावनी –यह प्रणाली सिस्टम अलर्ट और वेब के माध्यम से प्रयोगकर्ताओं को सूचित करती है एवं नई अधिसूचनाएं, अस्वीकृत ईडब्ल्यूबी, सत्यापित ईडब्ल्यूबी, इत्यादि जैसे विभिन्न गतिविधियों के बारे में एसएमएस भेजती है।
12. ई–वे बिल पर क्यू.आर. बार कोड – ई–वे बिल पर क्यू.आर. बार कोड होने से कर अधिकारियों के लिए ई–वे बिल का सत्यापन आसान और तेज करता है।
13. ई–वे बिल के परिवहन को ट्रैक करने के लिए आरएफआईडी के साथ एकीकृत करना – कर अधिकारियों द्वारा ई–वे बिल के परिवहन, बिना वाहन को रोके जांच करने के लिए आरएफआईडी के साथ एकीकृत करने के लिए प्रावधान किया गया है।

3. ई–वे बिल सिस्टम के लिए पंजीकरण और नामांकन

ऐसे चार हितधारक हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल की आवाजाही में कुछ हिस्सेदारी रखते हैं एवं ई–वे बिल पर भी वे इन चारों हितधारकों यथा आपूर्तिकर्ताओं, प्राप्तकर्ता, ट्रांसपोर्टर और कर अधिकारी का इस प्रणाली में समावेश किया गया है। आपूर्तिकर्ताओं, प्राप्तकर्ताओं और ट्रांसपोर्टर यह देखना चाहते हैं कि माल स्रोत से गंतव्य तक बिना किसी बाधा के परिवहनित हो जाए एवं कर अधिकारी इस परिवहनित माल को आपूर्तिकर्ता एवं प्राप्तकर्ता द्वारा अपनी लेखा पुस्तकों में दर्ज करना सुनिश्चित करना चाहते हैं।

इन उददेश्यों की प्राप्ति के लिए, उन्हें ई–वे बिल सिस्टम तक पहुंच की आवश्यकता है। ई–वे बिल प्रणाली में उन्हें ई–वे बिल सिस्टम तक पहुंच के लिए प्रावधान किया गया है। जीएसटी में पंजीकृत व्यक्ति ई–वे बिल पर पंजीकरण कर सकता है और सिस्टम का उपयोग करने के लिए अपने उपयोगकर्ता क्रेडेंशियल्स बना सकता है। जीएसटी में पंजीकृत व्यक्ति एक आपूर्तिकर्ता, प्राप्तकर्ता या ट्रांसपोर्टर हो सकता है। यदि ट्रांसपोर्टर छोटा ऑपरेटर है और जीएसटी के तहत पंजीकृत नहीं है, तो इस सिस्टम पर काम करने के लिए अपने यूजर क्रेडेंशियल्स को नामांकन और बनाने के लिए ई–वे बिल पोर्टल उसे यह सुविधा प्रदान करता है।

3.1 ई–वे बिल सिस्टम पर करदाता द्वारा पंजीकरण

ई–वे बिल प्रणाली के लिए जीएसटी करदाताओं के लिए पंजीकरणएक सरल प्रक्रिया है। इस प्रणाली पर जीएसटी करदाता को एक बार ही पंजीकरण करना होगा। ऐसा करने के लिए करदाता के पास जीएसटी नंबर एवं जीएसटी सिस्टम के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। करदाता http://ewaybill.nic.in पर जाकर ई–वे बिल रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें एवं तत्पश्चात जीएसटीन नंबर भरकर **GO** के टैब पर जाता है तो ई–वे बिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाता है एवं तत्पश्चात OTP रजिस्टर्ड मोबाइल पर जाता है OTP डालकर पंजीकरण कर सकता है। उसके पश्चात टैक्सपेयर को सुविधा है किवह अपनी पसंद की यूजर नेम व पासवर्ड रख सकता है। यूजरनेम में 8 से 15 अल्फान्यूमेरिक वर्ण होने चाहिए और इसमें विशेष वर्ण शामिल हो सकते हैं।एक यूनिकयूजरनेम उपयोगकर्ता द्वारा दिया जाना चाहिए, जो कि सिस्टम में मौजूद नहीं है। पंजीकरण के लिए रिक्वेस्ट सबमिट करने के बाद, सिस्टम दर्ज किए गए वैल्यूज को मान्य करता है और कोई त्रुटि होने पर उचित संदेश पॉप अप करता है। त्रुटि न होने पर यूजर नेम एवं पासवर्ड बन जाते हैं एवं ई–वे बिल प्रणाली में रजिस्टर्ड हो जाते हैं। सिस्टम पर काम करने के लिए करदाता इस पंजीकृत उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है।

पंजीकरण की आवश्यकता

1. जीएसटीन नंबर उपलब्ध होना चाहिए।

2. पंजीकृत मोबाइल नंबर उपयोगकर्ता के साथ होना चाहिए।

3. उपयोगकर्ता नाम अल्फाबेट, अंक (0–9) और विशेष वर्ण (/, रु, +,:, और, ', ') के संयोजन के साथ कम से कम 8 अक्षर का होना चाहिए और नहीं 15 से अधिक वर्णों से अधिक हो

4. पासवर्ड कम से कम 8 वर्णों का होना चाहिए।

5. अपने उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड को सुरक्षित रखें

3.2 जीएसटी द्वारा पंजीकृत गैर–पंजीकृत परिवहनदाता

ऐसे ट्रांसपोर्टर, जो जीएसटी सिस्टम में अपंजीकृत है, पिछली विकल्प का उपयोग करके पंजीकरण नहीं कर सकता है। उन्हें अपने व्यापार का विवरण भरकर उसे इस प्रणाली में एनरोल करने की आवश्यकता है। इन विवरणों को प्रमाणित करने के बाद, सिस्टम ट्रांसपोर्टर आईडी के 15 अक्षर और उसके लिए उपयोगकर्ता क्रेडेंशियल तैयार करता है। नामांकन फॉर्म उसके पैन विवरण, व्यापार प्रकार, व्यापार स्थान, आधार प्रमाणीकरण के लिए पूछता है।

पंजीकरण के लिए, गैर–पंजीकृत ट्रांसपोर्टर को ई–वे बिल पोर्टल खोलना होगा और ट्रांसपोर्टर के लिए नामांकन विकल्प का चयन करना होगा। उपयोगकर्ता को राज्य का चयन करना होगा और अपने पैन और पैन नंबर के अनुसार अपना कानूनी नाम दर्ज करना होगा। इसके बाद वेलिडेट बटन पर क्लिक करके सिस्टम को वेलिडेट करना होगा। उसके बाद उपयोगकर्ता अपना व्यापार विवरण और संपर्क विवरण दर्ज करेगा। जब 'Send OTP' पर क्लिक किया जाता है, तो ओटीपी उसके रजिस्टर्ड मोबाइल पर भेज दिया जाता है। वह उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड की अपनी पसंद दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद उन्हें आधार विवरण और नामांकन की घोषणा का उपयोग करने की सहमति देनी होगी। एक बार वह 'submit' बटन पर क्लिक करता है, सिस्टम 15 अंक की ट्रान्स आईडी जनरेट करता है और उसेदिखाता है यह ट्रांन्स आईडी, वह अपने ग्राहकों को ई–वे बिल में प्रवेश करने के लिए प्रदान कर सकता है ताकि माल के परिवहनित के लिए ट्रांसपोर्टर को वाहन संख्या में प्रवेश करने के लिए सक्षम किया जा सके।

3.3 यदि पासवर्ड भूल गए

यदि ई–वे बिल उपयोगकर्ता अपने उपयोगकर्ता नाम के लिए अपना पासवर्ड भूल जाता है, तो वह अपने मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से एक बार एक नया पासवर्ड प्राप्त करने के लिए इस विकल्प का उपयोग कर सकता है। इस पासवर्ड का उपयोग करके, वह लॉगिन कर सकता है और अपना नया पासवर्ड बना सकता है

नोट– यदि प्रवेश किया गया उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड लगातार तीन बार गलत हो जाता है तो सिस्टम उपयोगकर्ता को 5 मिनट के लिए फ्रीज कर देता है, 5 मिनट के बाद वह अपनी पहचान दर्ज कर सकेगा।

3.4 यदि उपयोगकर्ता का नाम भूल गया

यदि ई–वे बिल सिस्टम का उपयोगकर्ता अपना उपयोगकर्ता नाम भूल गया है, तो वह अपना उपयोगकर्ता नाम पाने के लिए इस विकल्प का उपयोग कर सकता है। अपने जीएसटीआईएन के प्रवेश पर, सिस्टम यूजरनेम को अपने मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भेज देगा।

4. ई–वे बिल सिस्टम को चलाना।

4.1 ई–वे बिल सिस्टम में लॉग–इन करना

ई–वे बिल प्रणाली को ओपन या लॉगिन करने के लिए, उपयोगकर्ता ई–वे बिल सिस्टम में पंजीकृत होना चाहिए, अगर वह जीएसटीआईएन धारक है या उसे ई–वे बिल सिस्टम में नामांकित होना चाहिए, अगर वह जीएसटी अपंजीकृत ट्रांसपोर्टरहै । उपयोगकर्ता ई–वे बिल सिस्टम में पंजीकरण या पंजीकरण करने के तरीके के बारे में अध्याय 3 पढ़ सकता है।

उपयोगकर्ता को ई–वे बिल पोर्टल खोलना होगा और प्रदर्शित कैप्चा के साथ अपना उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड दर्ज करना होगा। सफल प्रमाणन पर, सिस्टम उसे ई–वे बिल सिस्टम का मुख्य मेनू दिखाता है।

4.2 मुख्य मेनू

मुख्य मेनू ई–वे बिल पर काम करने के लिए उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध विकल्पों को दिखाता है।

बाईं ओर, सिस्टम मुख्य विकल्प दिखाता है। वो इस प्रकार हैः–

1. ई–वे बिल – इसमें ई–वे बिल बनाने, अपडेट करने, रद्द करने और छपाई के लिए उप–विकल्प हैं।
2. समेकित ई–वे बिल – इसमें ई–वे बिलों को बनाने, अपडेट करने और उन्हें रद्द करने के लिए उप–विकल्प हैं।
3. अस्वीकार करें – अगर यह उपयोगकर्ता से संबंधित नहीं है तो ई–वे बिल को अस्वीकार करने का विकल्प होता है।
4. रिपोर्ट – विभिन्न प्रकार की रिपोर्टों को पैदा करने के लिए इसमें उप–विकल्प हैं
5. मास्टर्स– इसमें ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, उत्पादों, ट्रांसपोर्टर जैसे उपयोगकर्ताओं के मास्टर्स बनाने के लिए उप विकल्प हैं।
6. उपयोगकर्ता प्रबंधन – उप–उपयोगकर्ताओं को उनके व्यवसाय में बनाने, संशोधित करने और स्थिर करने के लिए उप–विकल्प हैं।
7. पंजीकरण – इसका उपयोग करने के लिए एसएमएस, एंड्रॉइड ऐप और एपीआई सुविधाओं के लिए पंजीकरण करने के लिए उप–विकल्प हैं।

दाहिने हाथ की ओर से अधिसूचना पैनल होता है जो उपयोगकर्ता को ई–वे बिल प्रणाली के बारे में विभिन्न बिंदुओं पर सूचित करता है और अलर्ट करता है।

5. ई–वे बिल के विकल्प

5.1 नये ई–वे बिल बनाना

उपयोगकर्ता ई–वे बिल विकल्प के तहत जेनरेट ई–वे बिल उप–विकल्प का चयन करता है, जिसमें उपयोगकर्ता ई–वे बिल अनुरोध विवरण दर्ज कर सकता है। इस विकल्प का उपयोग नए ई–वे बिल को बनाने के लिए किया जाता है।

एक नया ई–वे बिल बनाने के लिए, उपयोगकर्ता के पास चालान ध बिल ध चालान दस्तावेज होने चाहिए और उपयोगकर्ता को ट्रांसपोर्टर आईडी पता होना चाहिए, जिसके माध्यम से वह माल या वाहन परिवहनित करने जा रहा है ।

ई–वे बिल प्रविष्टि फॉर्म में, पहले उपयोगकर्ता को लेन–देन के प्रकार –इनवार्ड एवं आउटवार्ड का चयन करना होगा। आउटवार्ड इंगित करता है, उपयोगकर्ता माल की आपूर्ति कर रहा है और इनवार्ड इंगित करता है कि उपयोगकर्ता सामान प्राप्त कर रहा है। चयनित लेन–देन के प्रकार के आधार पर, सिस्टम लेन–देन के उप–प्रकार दिखाएगा। उपयोगकर्ता को उप–प्रकार तदनुसार चयन करना होगा।

अब उपयोगकर्ता को दस्तावेज के अनुसार ड्रॉप डाउन मेनू से दस्तावेज के प्रकार को चुनना होगा। उपयोगकर्ता दस्तावेज संख्या में प्रवेश करेगा और दस्तावेज की तारीख का चयन करेगा, जैसा कि दस्तावेज (चालान, बिल या चालान) में दिया गया है। सिस्टम उपयोगकर्ता को भविष्य की तारीख में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देगा।

एकआउटवार्ड प्रकार के लेन–देन के लिए,इससेक्शन में, नाम, जीएसटीआईएन और आपूर्तिकर्ता का पता उपयोगकर्ता के विवरण के साथ ऑटो पोपुलेट होगा। अगर उसके पास व्यापार के अतिरिक्त स्थान हैं, तो उसे जगह चुनने की अनुमति भी दी जाती है। यहां, ऑटो अपडेट के बावजूद, उपयोगकर्ता को पता संपादित करने की अनुमति है।

इनवार्ड प्रकार के लेन–देन के लिए, इस अनुभाग में, नाम, जीएसटीआईएन और पते को उपयोगकर्ता द्वारा भरे जाने की आवश्यकता है। यह ऑटो पोपुलेट हो सकता है अगर उपयोगकर्ता ने मास्टर्स सप्लायर्स विकल्प में कन्साइनर विवरण दर्ज किया है (कृपया मैनेजिंग मास्टर्स पर अध्याय 7 देखें)। जब कोई उपयोगकर्ता कन्साइनर के 2–3 वर्णों को लिखता है, तो सिस्टम उपयोगकर्ता को कन्साइनर का नाम चुनने देता है, जिसे उसने आपूर्तिकर्ताओं के मास्टर्स में दर्ज किया है। सभी अन्य क्षेत्रों जैसे जीएसटीआईएन, पते से ऑटो चयन के बाद ऑटो पोपुलेट हो जाते हैं। हालांकि, सिस्टम उपयोगकर्ता को संपादित करने की अनुमति देता है। यदि आपूर्तिकर्ताओं के मास्टर्स उपयोगकर्ता द्वारा दर्ज नहीं किए गए हैं, तो सिस्टम उसे नाम, जीएसटीआईएन और पते के विवरण दर्ज करने की अनुमति देगा। यदि आपूर्तिकर्ता जीएसटी के लिए पंजीकृत नहीं है, तो उपयोगकर्ता को यूआरपी के रूप में जीएसटीआईएन में प्रवेश करना होगा, यह दर्शाता है कि आपूर्तिकर्ता अपंजीकृत व्यक्ति हैं।

एक बाहरी प्रकार के लेन–देन के लिए, उपयोगकर्ता को इस सेक्शन में नाम, जीएसटीआईएन और कंसाइनर का पता दर्ज करना होगा। यदि उपयोगकर्ता ने मास्टर्स क्लाईन्टस के विकल्प (माल प्रबंधन मास्टर्स पर अध्याय 7 का संदर्भ लें) में कंसाइनी विवरण दर्ज कर लिया है, तो उपभोक्ता विवरण ऑटो पोपुलेट हो सकता है। जब उपयोगकर्ता उपयोगकर्ता के नाम के 2–3 वर्णों प्रवेश करता है, तो सिस्टम उपयोगकर्ता को उस उपयोगकर्ता के नाम का चयन करने की अनुमति देता है जिसे उसने मस्टर्स के पास दर्ज किया है। सभी अन्य क्षेत्रों जैसे जीएसटीआईएन, पते ऑटो भर रहे हैं और उपयोगकर्ता द्वारा

भी संपादन योग्य है। यदि मास्टर्स को मालवाहक के लिए दर्ज नहीं किया गया है, तो उपयोगकर्ता पूर्ण विवरण दर्ज करेगा। यहां, उपयोगकर्ता को भी जीएसटीआईएन कॉलम में यूआरपी दर्ज करना पड़ता है, यदि कंसाइनी अपंजीकृत व्यक्ति है।

श्ज्श्सेक्शनमें इनवार्ड प्रकार के लेन–देन के लिए, नाम, जीएसटीआईएन और प्राप्तकर्ता का पता, उपयोगकर्ता के विवरण के साथ ऑटो पोपुलेट है। अगर उसके पास व्यापार के अतिरिक्त स्थान हैं, तो उसे जगह चुनने की अनुमति दी जाएगी। यहां, ऑटो अपडेट के बावजूद, उपयोगकर्ता को पता संपादित करने की अनुमति है।

अब, उपयोगकर्ता को आइटम विवरण दर्ज करने की आवश्यकता है। यदि उपयोगकर्ता ने मास्टर्सप्रोडक्ट्स में उत्पाद विवरण दर्ज किया है, तो उत्पाद विवरण ऑटो पॉपुलेट हो सकते हैं (कृपया मैनेजिंग मास्टर्स पर अध्याय 7 देखें)। उत्पाद नाम के 2–3 अक्षर प्रवेश करके, जो परिवहन किया जा रहा है, सिस्टम उपयोगकर्ता को उस उत्पाद नाम का चयन करने की अनुमति देता है जिसे पहले उनके द्वारा मस्टर्स द्वारा अपडेट किया गया था। विवरण, एचएसएन, यूनिट, टैक्स दर जैसे इस अनुभाग के तहत अन्य सभी क्षेत्रों को मास्टर्स से भर दिया गया है। उपयोगकर्ता को दस्तावेज में उल्लिखित उत्पाद की मात्रा और कर योग्य मूल्य दर्ज करने की आवश्यकता है। उपयोगकर्ता क्लिक करके कई उत्पादों को जोड़ देगा। कर योग्य मूल्य और टैक्स की दर के आधार पर, सिस्टम सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और सेस राशि की गणना करेगा। उपयोगकर्ता को यह राशि भी संपादित करने की अनुमति है यह ध्यान दिया जा सकता है कि अंतरराज्यीय मूवमेंट और अंतराराज्यीय मूवमेंटके लिए आईजीएसटी कर दर के लिए सीजीएसटी और एसजीएसटी कर दर दिखाएगी।

अब, उपयोगकर्ता को परिवहन का मार्ग चुनना होगा – सड़क, रेल, वायु या जहाज और चयनित आपूर्तिकर्ता (स्रोत) के माध्यम से प्राप्तकर्ता (गंतव्य) के बीच अनुमानित यात्रा दूरी। यदि सामान सीधे उपयोगकर्ता द्वारा सामान ले जाया जा रहा है, तो वह ट्रांसपोर्टर विवरण दर्ज किए बिना वाहन नंबर दर्ज कर सकता है।

अगर कोई उपयोगकर्ता तीसरे पक्ष के माध्यम से परिवहन कर रहा है, तो वह ट्रांसपोर्टर आईडी, ट्रांसपोर्टर दस्तावेज नंबर और ट्रांसपोर्टर द्वारा दी गई तिथि दर्ज करके ई–वे बिल उत्पन्न करेगा। ट्रांसपोर्टर आईडी स्वतः ऑटो पोपुलेटहो सकती है, अगर उपयोगकर्ता ने मास्टर्स ट्रान्सपोर्टर्स में ट्रांसपोर्टर विवरण दर्ज किया है (कृपया मैनेजिंग मास्टर्स पर अध्याय 7 देखें) ट्रांसपोर्टर के 2–3 अक्षर दर्ज करके, सिस्टम उपयोगकर्ता को ट्रांसपोर्टर का नाम चुनने की अनुमति देगा जो मास्टर में दर्ज किया गया था। यदि ट्रांसपोर्टर आईडी दर्ज की जाती है, तो उत्पन्न ई–वे बिल संबंधित ट्रांसपोर्टर लॉगिन खाते को भेजा जाएगा, जिससे ट्रांसपोर्टर को वाहन नंबर दर्ज करने की अनुमति होगी, जबकि माल स्थानांतरित हो रहे हैं

यह नोट किया जा सकता है कि ई–वे बिल उत्पन्न करने के लिए ट्रांसपोर्टर आईडी या वाहन नंबर की आवश्यकता है।

अगर एक ट्रांसपोर्टर, किसी कंसाइनर या कंसाइनी के लिए ई–वे बिल का निर्माण कर रहा है, तो ई–वे बिल उत्पन्न करने के लिए उसे उस ई–वे बिल में समस्त विवरण भरना पडेगा। यहां, सिस्टम उसे किसी भी कॉलम को ब्लॉक किए बिना कन्साइनर और कंसाइनी विवरण दोनों में प्रवेश करने की अनुमति देता है।

एक बार ई–वे बिल के लिए एक अनुरोध सबमिट हो जाने पर, सिस्टम में प्रवेश किए गए विवरणों को मान्य करता है और कोई त्रुटि होने पर उचित संदेश पॉप अप कर दिया जाता है। अन्यथा ई–वे बिल म्ठ–01 फॉर्म में युनिक 12 अंकों की संख्या के साथ दिखाया जाएगा।

ई–वे बिल फॉर्म में वाहन प्रविष्टि के बिना माल के परिवहन के लिए वैध नहीं होगा। वाहन नंबर दर्ज होने के बाद, सिस्टम ई–वे बिल की वैधता दिखाएगा। यह बताता है कि उपयोगकर्ता को उस मान्य दिनांक और समय के भीतर माल की आवाजाही कर सकता है। इस अवधि के बादा माल की आवाजाही अविधिक हो जाती है। उपयोगकर्ता ई–वे बिल का प्रिंट आउट ले सकता है। (प्रिंटिंग ई–वे बिल के लिए अध्याय 5.5 देखें)

ई–वे बिल के आसान और तेज बनानेके लिए युक्तियां

1. अनिवार्य क्षेत्रों कोस्टार ' द्वारा इंगित किया जाता है

2. जीएसटीआर –1 के लिए अनिवार्य क्षेत्रों को' से इंगित किया गया है। यह उन क्षेत्रों को बताता है जिससे स्वचालित रूप से अगले महीने के लिए जीएसटीआर–1 तैयार किया जावेगा।

3. कृपया सुनिश्चित करें कि आपके पास डाटा एंट्री शुरू करने से पहले समस्त दस्तावेजों का विवरण, आपके पास हो।

4. कृपया सुनिश्चित करें कि आपके पास सड़क से परिवहन करने पर, डेटा एंट्री शुरू करने से पहले ट्रांसपोर्टर आईडी, या वाहन संख्या, दस्तावेज संख्या है। परिवहन के लिए रेल, वायु या जहाज से परिवहन पर डेटा एंट्री शुरू करने से पहले ट्रांसपोर्टर आईडी या वाहन संख्या है।

5. कृपया सुनिश्चित करें कि आपके नियमित ग्राहक, आपूर्तिकर्ता, उत्पाद और ट्रांसपोर्टर विवरण मास्टर के विकल्प में ई–वे बिल के आसान, त्वरित और सटीक बनानेके लिए दर्ज किए गए हैं

5.2 बहुत सारे ई–वे बिल एक साथबनाना

सिस्टम उपयोगकर्ता को बहुत सारे ई–वे बिल एक साथ बनाने मेंसक्षम बनाता है। बल्क ई–वे बिल का उपयोगबहुत सारे ई–वे बिल एक साथ बनाने में किया जाता है। बल्क ई–वे बिल बनाने के लिए उपयोगकर्ता को म्ठ ठनसा ब्वदअमतजमत या एक्सेल फाइल की आवश्यकता है, जो यूजर को एक श्रेव्छफाइल में कई ई–वे बिल एक्सेल फाइल को बदलने में मदद करता है।

एक बल्क ई–वे बिल बनाने के लिए, उपयोगकर्ता को ई–वे बिल विकल्प के तहत 'उप विकल्प जेनरेट बल्क' का चयन करना होगा। इसके बाद उपयोगकर्ता को फाइल चुननी होगी और अपलोड करने के लिए श्रेव्छ का चयन करना होगा। श्रेव्छफाइल उपयोगकर्ता के सिस्टम में है, तो उपयोगकर्ता को ई–वे बिल पोर्टल में उसश्रेव्छ फाइल अपलोड करने की आवश्यकता है और बल्क ई–वे बिल को उत्पन्न करने के लिए फाइल का उपयोग कर सकते हैं।

श्रेव्छ फाइल को प्रोसेस करने के बाद, सिस्टम ई–वे बिल तैयार करता है और प्रत्येक अनुरोध के लिए म्ठको दिखाता है। यदि यह संभव नहीं है तो यह प्रत्येक अनुरोध के लिए त्रुटि दिखाएगा।

5.3 वाहन संख्या को अपडेट करना

ई–वे बिल के वाहन नंबर को अपडेट करने के लिए इस विकल्प का इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर ई–वे बिल बनाने या वाहन को स्थानांतरित करने के लिए वाहन बदलते हैं, क्योंकि पारगमन मूवमेंट , वाहन टूटने आदि जैसे विभिन्न कारणों से वाहन बदल दिया गया है।

जब उपयोगकर्ता ई–वे बिल विकल्प के तहत अपडेट वाहन नंबर उप–विकल्प का चयन करता है, तो इस फॉर्म में उपयोगकर्ता को कम से कम एक विकल्प ई–वे बिल की जांच की जानी चाहिए, जिसके अनुसार नो / जनरेटेड तिथि / जेनरेटर जीएसटीआईएन।

इसी पैरामीटर में प्रवेश करने के बाद, सिस्टम उन मानकों के लिए संबंधित ई–वे बिल की सूची दिखाएगा। यहां, उपयोगकर्ता वाहन अपडेट के लिए संबंधित ई–वे बिल के लिए चयन पर क्लिक करेगा। इसके बाद, उपयोगकर्ता को सिस्टम पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।

वाहन नंबर को अपडेट करने से पहले उपयोगकर्ता के पास ई–वे बिल होना चाहिए, जिसके लिए उपयोगकर्ता डेटा प्रविष्टि के लिए वाहन नंबर और नए वाहन नंबर को अपडेट करना चाहता है।

वाहन अपडेट फॉर्म में, उपयोगकर्ता को वाहन नंबर दर्ज करना पड़ता है जिसके माध्यम से परिवहन किया जा रहा है, उपयोगकर्ता के स्थान से पहले, राज्य से, जहां से परिवहन किया जा रहा है, प्रवेश करती है।

उपयोगकर्ता को वाहन बदलने का कारण भी देना होता है। सिस्टम उपयोगकर्ता को परिवहन परिवर्तन के कारण का चयन करने की अनुमति देता है। इसके बाद, उपयोगकर्ता को कमेंट फील्ड दर्ज करना होगा। अगर परिवहन का मार्ग रेल, वायु या जहाज है, तो उपयोगकर्ता को वाहन संख्या के बजाय ट्रांसपोर्टर दस्तावेज नंबर दर्ज करने की आवश्यकता है।

एक बार वाहन नंबर को अपडेट करने के लिए एक अनुरोध प्रस्तुत किया जाता है, तो सिस्टम दर्ज किए गए विवरण को मान्य करता है और कोई त्रुटि होने पर उचित संदेश पॉप अप कर देता है।वाहन का बदला गया नंबर उस ई–वे बिल में अपडेट हो जाता है।

याद करने के लिए युक्तियाँ

1. ई–वे बिल में वाहन नंबर के बिना माल की आवाजाही के लिए वैध नहीं है।

2. ई–वे बिल उत्पन्न होने के बाद, इसे किसी भी गलती के लिए संपादित नहीं किया जा सकता। हालांकि, इसे जनरे ान के 24 घंटे के भीतर रद्द कर दिया जा सकता है।

3. ई–वे बिल वाहन नंबर के साथ किसी भी समय अपडेट किया जा सकता है।नवीनतम वाहन नंबर ई–वे बिल पर उपलब्ध होना चाहिए और विभाग द्वारा जांच करने पर माल उसी नवीनतम वाहन में होना चाहिए।

5.4 ई–वे बिल रद्द करना

विभिन्न कारणों के लिए ई–वे बिल को रद्द करने के लिए प्रावधान किया गया है जैसे कि माल को स्थानांतरित नहीं किया जा रहा है, ई–वे बिल में गलत प्रविष्टि आदि शामिल हैं।

ई–वे बिल रद्द करने के लिए पहले उपयोगकर्ता के पास उस ई–वे बिल का नंबर होना चाहिए जो वह रद्द करना चाहता हैं।इसके बाद, उपयोगकर्ता को 12 अंकीय ई–वे बिल नंबर दर्ज करने पर वह विशेष

ई–वे बिल प्रदर्शित हो जाएगा, और ई–वे बिल रद्द करने के लिए उचित कारण देने के बाद, उपयोगकर्ता उस ई–वे बिल को रद्द कर सकता है। एक बार ई–वे बिल रद्द हो जाने पर वह ई–वे बिल प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

एक बार बनाया गया ई–वे बिल हटाया नहीं जा सकता। हालांकि, जनरे ान के 24 घंटे के भीतर जनरेटर द्वारा इसे रद्द किया जा सकता है। यदि किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया है, तो इसे रद्द नहीं किया जा सकता है। ई–वे बिल को यदि ई–वे बिल में दी गई जानकारी के अनुसार या तो माल ढुलाई नहीं किया जाता है या नहीं ले जाया गया है तो रद्द किया जा सकता है ।

5.5 प्रिंटिंग ईडब्ल्यूबी

उपयोगकर्ता ई–वे बिल विकल्प के तहत श्च्तपदज म्ॅठश विकल्प का चयन करता है। ई–वे बिल का प्रिंट बनाने वाले एवं ई–वे बिल के ट्रांसपोर्टर द्वारा ही लिया जा सकता है।ई–वे बिल नंबर दर्ज करने के बाद, सिस्टम प्रिंट लेने के विकल्प के साथ ई–वे बिल को दिखाता है। प्रयोगकर्ता चाहे तो विस्तृत प्रिंट भी ले सकता है।

6. कंसोलिडेटेड ई–वे बिल बनाना

6.1 कंसोलिडेटेडई–वे बिल बनाना

एक कंसोलिडेटेड ई–वे बिल जब बनाया जाता है जबकि ट्रांसपोर्टर एक ही वाहन में कई माल ले जाता है। कंसोलिडेटेड ई–वे बिल से एक ही वाहन में अलग अलग मालों के लिए ट्रांसपोर्टर एक ही कंसोलिडेटेड ई–वे बिल बना सकता है।

इसके लिए उस उपयोगकर्ता के पास सभी ई–वे बिल संख्याएं होनी चाहिए जिनका माल एक वाहन परिवहनित किया जावेंगा। उपयोगकर्ता 'कंसोलिडेटेड ईडब्ल्यूबी' विकल्प के तहत 'जनरेटिंग न्यू' उप–विकल्पों का चयन करता है। इस रूप में उपयोगकर्ता को दिए गए विकल्प, सड़क, रेल, वायु, जहाज से परिवहन की स्थिति की जांच करनी होगी। फिर उपयोगकर्ता तिवउ`जंजमश, अमीपबसम `जंतजे तिवउश जहां से वाहन शुरू हो रहा है और श्अमीपबसम दवण्श का इन्द्राज करता है।

अब, उपयोगकर्ता को ई–वे बिल नंबर दर्ज करना होगा। एक बार जब ईबीएन फार्म के बाकी फील्ड की प्रविष्टि हो जाती है, तब ऑटो पॉपुलेटेड होते हैं। उपयोगकर्ता क्लिक करके कई कंसाइनमेंट जोड़ सकते हैं। यह उल्लेखनीय है कि उपयोगकर्ता जनरेटर या कंसोलिडेटेड रूप में उपयोग करने के लिए चयनित ई–वे बिल ट्रांसपोर्टर होना चाहिए अन्यथा, यह उसे विवरण अपडेट करने की अनुमति नहीं देगा। फिर वह सबमिट पर क्लिक करेगा। सिस्टम एक समेकित ई–वे बिल को कंसोलिडेटेड ईबीएन के साथ प्रदर्शित करेगा।

6.2 कन्सोलिडेटेड ई–वे बिल बनाना

ई–वे बिल सिस्टम उपयोगकर्ता को कंसोलिडेटेड माल ई–वे बिल तैयार करने में सक्षम बनाता है। एक कंसोलिडेटेड माल ई–वे बिल का उपयोग, जब उपयोगकर्ता को एक बार में कई ई–वे बिल तैयार करने की आवश्यकता होने पर किया जाता है।

एक कंसोलिडेटेड बल्क ई–वे बिल को बनाने के लिए उपयोगकर्ता को ॅम्ठबल्क कन्वर्टर या एक्सेल फाइल की आवश्यकता है, जो उपयोगकर्ता को एक एकल श्रैव्छ फाइल में कई समेकित ई–वे बिल एक्सेल फाइल को बदलने में मदद करता है।एक कंसोलिडेटेड थोक ई–वे बिल तैयार करने के लिए, उपयोगकर्ता को समेकित ॅम्ठविकल्प के तहत उप विकल्प जेनरेट बल्क चुनना होगा। उपयोगकर्ता को फाइल चुननी होगी और अपलोड करने के लिए श्रैव्छ का चयन करना होगा। एक बार श्रैव्छ फाइल उपयोगकर्ता के सिस्टम से होती है, तो उपयोगकर्ता को ई–वे बिल पोर्टल में एक ही श्रैव्छ फाइल अपलोड करना होगा और समेकित थोक ई–वे बिल को उत्पन्न करने के लिए फाइल का उपयोग कर सकते हैं।श्रैव्छ फाइल को प्रोसेस करने के बाद, सिस्टम ई–वे बिल तैयार करता है और प्रत्येक अनुरोध के लिए समेकित ॅम्ठ दिखाता है।

6.3 कंसोलिडेटेड ई–वे बिल रद्द करना

एक उपयोगकर्ता एक कंसोलिडेटेड ई–वे बिल रद्द कर देगा विकल्प के तहत रद्द उप विकल्प समेकित ॅम्ठका चयन करके, उपयोगकर्ता को समेकित ॅम्ठसंख्या दर्ज करने और ळेव्का चयन करने की आवश्यकता है। सिस्टम रद्द करने के विकल्प के साथ कंसोलिडेटेड ई–वे बिल को प्रदर्शित करेगा एक बार जब एक कंसोलिडेटेड ॅम्ठ रद्द हो जाता है, तो उपयोगकर्ता उस कंसोलिडेटेड ॅम्ठमें कोई बदलाव नहीं कर पाएगा

6.4 कंसोलिडेटेड ॅ्ठ को प्रिंट करना

एक उपयोगकर्ता कंसोलिडेटेडॅ्ठ का चयन करके प्रिंट ले सकता है ।एक बार जब उपयोगकर्ता कंसोलिडेटेड ॅ्ठसंख्या में प्रवेश करता है और ळव्ट पर क्लिक करता है सिस्टम अनुरोधित समेकित ॅ्ठप्रदर्शित करेगा और उपयोगकर्ता कंसोलिडेटेड ॅ्ठके प्रिंट आउट ले सकता है।

6.5 कंसोलिडेटेड ॅ्ठ के लिए वाहन संख्या को अपडेट करना

ई–वे बिल प्रणाली उपयोगकर्ता को कंसोलिडेटेड ॅ्ठ के लिए वाहन नंबर को अपडेट करने का विकल्प देती है।एक उपयोगकर्ता कंसोलिडेटेड ॅ्ठविकल्प के तहत उप विकल्प वाहन अपडेट का चयन करके समेकित ॅ्ठके लिए वाहन नंबर को अपडेट कर सकता है।

इस स्क्रीन पर, उपयोगकर्ता 12 अंकीय कंसोलिडेटेड ॅ्ठ या उस दिनांक को चुनने पर कंसोलिडेटेड ॅ्ठ की एक सूची दिखाई जाएगीजहां उपयोगकर्ता वाहन नंबर को अपडेट करने के लिए उसकंसोलिडेटेड ॅ्ठका चयन करेगा। इस फॉर्म पर उपयोगकर्ता को वाहन संख्या को स्थान, राज्य और परिवहन में बदलाव के कारण के साथ अपडेट करना होगा। यदि कोई भी क्षेत्र गलत ढंग से दर्ज किया गया हो, तो सिस्टम एक त्रुटि संदेश पॉप करेगा, अन्यथा वाहन संख्या उस कंसोलिडेटेड ई–बिल बिल नंबर पर अपडेट हो जाएगी

7. मास्टर्स के बारे में

ई–वे बिल प्रणाली उपयोगकर्ता को अपने व्यापार से संबंधित मास्टर्स बनाने के लिए अनुमति देता है। ई–वे बिल बनाने के दौरान यह मास्टर्स डेटा, डेटा प्रविष्टि को सरल करता है यह यूजर को किसी भी त्रुटि के बिना आसानी से और जल्दी से ई–वे बिल जारी करने में मदद करता है। उपयोगकर्ता मास्टर में उत्पाद, ग्राहक, सप्लायर्स और ट्रांसपोर्टर के मास्टर्स बना सकता हैं।

7.1 प्रोडक्ट

उपयोगकर्ता 'मास्टर्स' विकल्प के तहत उप विकल्प 'प्रोडक्ट' का चयन करता है। उपयोगकर्ता को मूल विवरण जैसे कि प्रोडक्टनाम के साथ प्रवेश करना शुरू करना है उस प्रोडक्टका एक माप इकाई जिसमें वह बेचता है और प्रोडक्टके बारे में संक्षिप्त विवरण उपयोगकर्ता द्वारा दर्ज किया जाएगा।

इसके बाद, उपयोगकर्ता को एचएसएन कोड दर्ज करना होगा। यदि उपयोगकर्ता को एचएसएन कोड नहीं पता है, तो सिस्टम उपयोगकर्ता को एचएसएन कोड को खोज विकल्पों और एचएसएन नाम के अनुसार चुनने की सुविधा देता है।इसके बाद, उपयोगकर्ता को प्रोडक्टके लिए लागू करदर दर्ज करने की आवश्यकता है – सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, सेस, और सेस गैर एडवेलोरम। प्रोडक्टविवरण के लिए अनुरोध सबमिट करने के बाद, सिस्टम प्रविष्ट किए गए विवरण को मान्य करता है और सेव करता है। अगर कोई त्रुटि हो तो उपयुक्त संदेश पॉप अप करता है। उपयोगकर्ता अपने सभी प्रोडक्टके लिए इसे दोहरा सकता है। प्रयोक्ता एक ही प्रोडक्टके लिए कई प्रविष्टियां बना सकता है, यदि एक ही प्रोडक्टके लिए माप की इकाई और टैक्स की दर एक से अधिक है तदनुसार, वह अपनी समझ और याद रखने के लिए प्रोडक्टका नाम दे सकता है।

7.2 ग्राहक

ग्राहक को ग्राहक विवरण मास्टर्स में दर्ज करने के लिए मास्टर्स विकल्प के तहत उप विकल्प क्लाइंट का चयन करना होगा, जब ग्राहक टैब का चयन किया जाता है ।

उपयोगकर्ता जीएसटी पंजीकृत या जीएसटी अपंजीकृत ग्राहक के रूप में ग्राहक विवरण दर्ज कर सकता है। जब ळैज् पंजीकृत विकल्प चुना जाता है, तो उपयोगकर्ता को ग्राहक के जीएसटीआईएन में प्रवेश करना होगा। एक बार जब ळैज्च्छ दर्ज किया जाता है, तो सिस्टम कॉम्बो बॉक्स में ग्राहक विवरण दिखाता है। यदि जीएसटीआईएन धारक के व्यवसाय का अतिरिक्त स्थान है, तो कॉम्बो व्यवसाय के मुख्य और अतिरिक्त स्थानों को दिखाएगा। उपयोगकर्ता को जो भी आवश्यक है उसका चयन करना होगा अगर कई जगहों का चयन किया जाना है, तो बटन पर क्लिक करें और चुनें। सबमिट करने के बाद, सिस्टम मस्टर्स के उस विशेष ग्राहक के विवरण को सुरक्षित ;अमद्ध करता है।उपयोगकर्ता को ग्राहक के राज्य, नाम, ग्राहक पता, स्थान, पिन कोड, मोबाइल नंबर और ईमेल दर्ज करने की आवश्यकता है और सबमिट करें ।

क्लाइंट विवरण के लिए अनुरोध सबमिट करने के बाद, सिस्टम दर्ज किए गए विवरणों को मान्य करता है और कोई त्रुटि होने पर उचित संदेश पॉप अप कर देता है। अन्यथा क्लाइंट का विवरण मास्टर्स में सेव कर लिया जाता है और ई–वे बिल बनाने के दौरान उपयोग के लिए उपलब्ध होगा।

7.3 आपूर्तिकर्ता

उपयोगकर्ता आपूर्तिकर्ताओं को भी ग्राहक प्रविष्टि की तरह जोड़ सकते हैं । इसकी प्रक्रिया मास्टर्स में ग्राहक की प्रविष्टि के अनुरूप ही है।

7.4 ट्रांसपोर्टर

एक उपयोगकर्ता मास्टर्स के पास एक पंजीकृत ट्रांसपोर्टर का विवरण दर्ज कर सकता है।इस हेतु उपयोगकर्ता के पास ट्रांसपोर्टर का नंबर होना चाहिए। ट्रांसपोर्टर नंबर दर्ज करने के बाद, सिस्टम उपयोगकर्ता को चुनने और उसे सेव करने की अनुमति देता है। इसका उपयोग पंजीकृत व्यक्ति को ट्रांसपोर्टर को जब भी आवश्यक हो, ई–वे बिल में वाहन नंबर को अपडेट करने की अनुमति देने के लिए किया जाता है।

8. ई–वे बिल अस्वीकार करना

दूसरे करदाता द्वारा अपने जीएसटीआईएन के पक्ष में प्राप्तकर्ता या सप्लायर के रूप में अन्य पार्टी के रूप में उत्पन्न ई–वे बिल देखने के लिए विकल्प का उपयोग करदाता द्वारा किया जाता है। यदि प्राप्तकर्ता ई–वे बिल में उल्लेखित माल को नहीं ले रहा है, तो वह इस विकल्प का उपयोग करके उन्हें अस्वीकार कर सकता है।

इस हेतु उपयोगकर्ता को ई–वे बिल नंबर की आवश्यकता है जो वह अस्वीकार करना चाहता है। ई–वे बिल की तारीख को चुनकर उपयोगकर्ता को ई–वे बिल नंबर का चयन करने की आवश्यकता है, जिस पर ई–वे बिल जेनरेट किया गया था और सबमिट बटन पर क्लिक करें। इसके बाद यह प्रणाली उस विशेष तिथि पर उत्पन्न सभी ई–वे बिल दिखाएगी, तब उस ई–वे बिल का चयन करें और ई–वे बिल के दाईं ओर चेक बॉक्स को चेक करके ई–वे बिल को अस्वीकार करने की सुविधा है।

अन्य पक्ष के रूप में, कोई भी ई–वे बिल में निर्दिष्ट ऐसी माल की स्वीकृति या अस्वीकृति के बारे में निर्णय कर सकता है। यदि स्वीकृति या अस्वीकृति ई–वे बिल की जनरे ान के समय से 72 घंटे के भीतर नहीं भेजी जाती है, तो यह माना जाता है कि उन्होंने विवरण स्वीकार कर लिया है।

9. विभिन्न रिपोर्ट के बाबत

प्रयोगकर्ता को अपने व्यवसाय का प्रबंधन करने के लिए विभिन्न रिपोर्ट तैयार करने के विकल्प है –इनमें से कुछ विस्तृत रिपोर्ट हैं तथा कुछ संक्षेप रिपोर्ट हैं। यह प्रणाली उन्हें कार्रवाई आधारित रिपोर्ट उत्पन्न करने में भी मदद करती है। इस प्रणाली में निम्नलिखित रिपोर्ट उपलब्ध हैं–

1. मेरे द्वारा उत्पन्न ॅम्ठ – यह उपयोगकर्ता द्वारा किसी विशेष तारीख के लिए उत्पन्न ई–वे बिलों की सूची देगा।
2. ठल ॅम्ठदूसरों के द्वारा उत्पन्न – यह अन्य लोगों द्वारा किसी विशेष तिथि के लिए अन्य पक्ष के रूप में उत्पन्न ई–वे बिलों की सूची देगा।
3. आउटवर्ड सप्लाई– यह ई–वे बिल की सूची तैयार करेगा, जो किसी विशेष तिथि के लिए उपयोगकर्ता द्वारा बाह्य आपूर्ति के रूप में दिखाया गया है।
4. आवक आपूर्ति – यह ई–वे बिल की सूची तैयार करेगा, जो कि किसी विशेष तिथि के लिए उपयोगकर्ता को आवक आपूर्ति के रूप में दिखाया गया है।
5. अस्वीकृत ॅम्ठ– यह अन्य पार्टी द्वारा अस्वीकृत ई–वे बिलों की सूची देगा।
6. ब्ंदबमससमकॅम्ठ– यह उपयोगकर्ता द्वारा रद्द किए गए ई–वे बिल की सूची देगा।
7. सत्यापित ॅम्ठ– यह कर अधिकारियों द्वारा सत्यापित ई–वे बिलों की सूची देगा।
8. मास्टर्स– यह विभिन्न श्रेणियों के तहत मास्टर प्रविष्टियों की सूची तैयार करता है।

10. सबयूजर का प्रबंध करना

कुछ प्रयोक्ताओं या करदाताओं को ई–वे बिल को अपने खाते के तहत कई व्यावसायिक स्थानों से या 2–3 पारीया कई संख्या में ई–वे बिल बनाने की जरूरत है। साथ ही, कुछ उपयोगकर्ता एक उपयोगकर्ता नाम या खाते के अंतर्गत सभी गतिविधियों का प्रबंधन नहीं करना चाहते हैं। इस परिस्थिति में, वह एक उपयोगकर्ता नाम के साथ इसे प्रबंधित करने में सक्षम नहीं हो सकता है। ये करदाता उपयोगकर्ता उप–उपयोगकर्ताओं को बनाने और उन्हें अलग–अलग भूमिकाएं प्रदान करने के लिए उपयोगकर्ता प्रबंधन विकल्प का उपयोग कर सकते हैं।

10.1 सबयूजर बनाएं

सिस्टम सबयूजर बनाने के लिए उपयोगकर्ता को सक्षम करता है।

एक बार उपयोगकर्ता उपयोगकर्ता विकल्प के तहत उप विकल्प सबयूजर बनाएँ पर क्लिक करता है, तो सिस्टम उपयोगकर्ता को मोबाइल नंबर दर्ज करने के लिए कहता है और ओटीपी के माध्यम से उसी को मान्य करता है। इस फॉर्म में, सबयूजर के लिएयूजर आईडी दर्ज करके सबयूजर बना सकता है और उपयोगकर्ता आईडी की उपलब्धता की जांच करेगा। यही है, अगर कर दाता का उपयोगकर्ता नाम श्ंइबकमश्ि है और वह श्तआश के रूप में प्रत्यय दे रहा है, तो उप यूजर आईडी श्ंइबकमक्रितआश बनाया जाएगा।फिर उपयोगकर्ता को नाम, गंतव्य, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दर्ज करने की आवश्यकता है, जिससे उपयोगकर्ता सभी कार्यालयों के लिए या किसी विशेष कार्यालय के लिए ॅम्ठ उत्पन्न कर सके।

यूजर सबयूजर को ॅम्ठ, समेकित ॅम्ठ, म्ॅठ की अस्वीकृति, ॅम्ठ की रिपोर्ट बनाने और स्क्रीन में दिए गए चेक बॉक्स से मास्टर्स को अपडेट करने के लिए अधिकृत कर सकता है।

सिस्टम एक त्रुटि पॉप करेगा यदि प्रवेश किया गया क्षेत्र गलत हैं अन्यथा सिस्टम सबयूजरबना देता है और एसएमएस को सबयूजरको पासवर्ड के साथ एक संदेश भेज देता है।

10.2 सबयूजर को फ्रीज करें

सिस्टम सबयूजरको फ्रीज करने के लिए उपयोगकर्ता को एक विकल्प देता है। उपयोगकर्ता सबयूजर को फ्रीज करने के लिए फ्रीज बटन का चयन करेगा। सबयूजर एक बार फ्रीज हो जाने के बाद, वह ई–वे बिल पोर्टल में प्रवेश नहीं कर पाएगा।

10.3 सबयूजर को अपडेट करें

उसी तरीके से जो अध्याय 10.1 के तहत समझाया गया है सबयूजर बनाते हैं, एक उपयोगकर्ता सबयूजर को अपडेट कर सकता है।

10.4 पासवर्ड बदलने का तरीका

एक उपयोगकर्ता इस विकल्प के तहत अपना लॉगिन पासवर्ड बदल सकता है। एक बार उपयोगकर्ता विकल्प प्रबंधन के तहत उप विकल्प परिवर्तन पासवर्ड पर क्लिक करता है। इस फॉर्म में उपयोगकर्ता को पुराने पासवर्ड दर्ज करना होगा, इसके बाद वह जो नया पासवर्ड उपयोग करना चाहता है, दर्ज करता है और सबमिट करता है तो सिस्टम नए प्रवेश किए गए पासवर्ड के साथ उपयोगकर्ता के लॉगिन पासवर्ड को बदल देगा। जरूरी है कि पुराने और नया पासवर्डयाद रखें। दूसरों के साथ अपना पासवर्ड साझा न करें एवं अपना पासवर्ड नियमित रूप से बदलें।

11. ई–वे बिल बनाने के अन्य तरीकों के लिए पंजीकरण

ई–वे बिल सिस्टम उपयोगकर्ताओं को विभिन्न तरीकों से ई–वे बिल बनाने के लिए प्रदान करता है। उनमें से एक वेब आधारित मोड है, जिसे अध्याय 5 में समझाया गया है। एसएमएस आधारित, एंड्रॉइड ऐप आधारित, एपीआई आधारित सुविधा हैं। इन सभी तरीकों के लिए, उपयोगकर्ता को इन विधियों के लिए अन्य विवरण के साथ वेब आधारित सिस्टम पर पंजीकरण करना होगा। निम्नलिखित विकल्प इन विधियों के लिए पंजीकरण का तरीका बताते हैं।

11.1 एसएमएस के लिए

ई–वे बिल पोर्टल पर पंजीकरण के लिए प्रयोक्ता के पास पंजीकृत मोबाइल नंबर होना चाहिए। एक बार जब उपयोगकर्ता मुख्य विकल्प पंजीकरण के तहत एसएमएस के लिए विकल्प का चयन करता है।उपयोगकर्ता को अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी को सत्यापित करना होगा। सिस्टम ओटीपी को मान्य करता है और उपयोगकर्ता निर्देशित करता है।इसके बाद, यूजर को ड्रॉप डाउन मेनू से यूजर आईडी चुनना होगा, चयनित यूजर का मोबाइल नंबर सिस्टम द्वारा ऑटो पोपुलेट हो जाएगा। एक बार जब उपयोगकर्ता सबमिट अनुरोध देता है तो विशेष उपयोगकर्ता एसएमएस सिस्टम के माध्यम से ई–वे बिल जेनरेट कर सकता है।एक करदाता एम–वे बिल प्रयोजन के लिए अधिकतम 2 मोबाइल नंबर पंजीकृत कर सकता है।

11.2 एंड्रॉइड के लिए

ई–वे बिल प्रणाली उपयोगकर्ता को ई–ऐ बिल को एंड्रॉइड एप्लिकेशन के माध्यम से भी उत्पन्न करने में सक्षम बनाता है।एक बार जब उपयोगकर्ता पंजीकरण के लिए विकल्प के तहत एंड्रॉइड का चयन करता है, तो उपयोगकर्ता को ड्रॉप डाउन मेनू, नाम और जगह से उपयोगकर्ता चुनने की जरूरत होती है जो सिस्टम द्वारा स्वतः ऑटो पोपुलेट होगी। उपयोगकर्ता एंड्रॉइड ऐप के साथ संबंधित उपयोगकर्ता को सक्षम करता है एवंसंबंधित उपयोगकर्ता को प्डम् संख्या दर्ज करने और ई–वे बिल सिस्टम में विवरण सहेजने की आवश्यकता होगी। एक बार बचाए गए उपयोगकर्ता एंड्रॉइड एप्लिकेशन के माध्यम से ई–वे बिल जेनरेट करने में सक्षम होंगे।

11.3 ट्रांसपोर्टर के लिए

ई–वे बिल प्रणाली एक उपयोगकर्ता को एक ट्रांसपोर्टर के रूप में अन्य पार्टियों के लिए ई–वे बिल बनाने की अनुमति देता है इस विकल्प का उपयोग करके एक उपयोगकर्ता खुद को ट्रांसपोर्टर में परिवर्तित कर सकता है, जिससे उसे अन्य पार्टियों के लिए ई–वे बिल जेनरेट करने में मदद मिल सकती है। एक उपयोगकर्ता को पंजीकरण के लिए विकल्प के तहत ट्रांसपोर्टर को चुनना होगा।यहां उपयोगकर्ता को अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर में प्राप्त ओटीपी दर्ज करके ओटीपी सत्यापित करनेकी आवश्यकता है। एक बार, ओटीपी सत्यापित किया जाता है एवं सिस्टम उपयोगकर्ता को पूछता है कि क्या वह पंजीकृत ट्रांसपोर्टर बनना चाहता है ताकि वह अपने ग्राहकों के लिए ई–वे बिल तैयार कर सकें। उपयोगकर्ता हाँ बॉक्स को टिक करके, सेव पर क्लिक करके विवरण सहेज सकते हैं।

12. पालन करने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास

12.1 ई–वे बिल बनाते समय गलतियाँ

ई–वे बिल बनाते समय होने वाली सामान्य गलतियाँ निम्नलिखित हैं

1. कुछ मामलों में, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी और सेस के कुल कर मूल्य उत्पाद के मूल्य कर योग्य मूल्य से अधिक दर्ज किए जा सकते हैं।
2. कुछ मामलों में, अन्य पार्टी के ळैज्ष्छ गलत तरीके से दर्ज किये जा सकते हैं।
3. कुछ मामलों में, पिन कोड गलत तरीके से दर्ज किए जा सकते हैं।
4. कुछ मामलों में, एचएसएन कोड गलत तरीके से दर्ज किए जा सकते है।

इससे करदाताओं द्वारा ई–वे बिल को रद्द कर दिया जा सकता है या अन्य पार्टी द्वारा अस्वीकार कर दिया जा सकता है।

12.2 इन गलतियों पर काबू पाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास

इन गलतियों पर काबू पाने के लिए, कर दाताओं / ऑपरेटर द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही की जा सकती है।

मास्टर मेनू में अपने ग्राहक /ग्राहक और आपूर्तिकर्ता मास्टर दर्ज करें – ई–वे बिल प्रणाली पर कर दाता को अपने ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं के एकमात्र मास्टर विवरण बनाने में मदद मिलती है जो ळैज्ष्छ में पंजीकृत है। ई–वे बिल बनाते समय यह नाम के क्षेत्र में अपना नाम टाइप करके, सिस्टम द्वारा ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं के विवरण को आसानी से लोकप्रिय बनाने में मदद करता है। इससे ग्राहकों या आपूर्तिकर्ताओं के जीएसटीआईएन, प्लेस, स्टेट और पिन कोड में गलतियों से बचा जाता है।मास्टर मेनू में अपने उत्पादों का मास्टर दर्ज करें – कर दाता उत्पाद विवरणों जैसे नाम, एचएसएन, कर की दर आदि में प्रवेश करके अपना उत्पाद मस्टर्स बना सकता है। ताकि उत्पाद विवरण उत्पाद नाम के 2–3 वर्ण टाइप करने पर सिस्टम द्वारा ऑटो पोपुलेट हो । यह एचएसएन कोड, कर की दर, आदि में गलतियों से बचा जाता है।

सबयूजर को सावधानी से प्रबंधित करना – कुछ करदाताओं को हमेशा स्वयं को सीधे कार्य नहीं करना पड़ सकता है और उनके पास कई अतिरिक्त जगहें हो सकती हैं, जहां से सामानों के संचालन के लिए ई–वे बिल तैयार करने की आवश्यकता होती है। इसे प्राप्त करने के लिए, कर दाताओं आवश्यकताओं के आधार पर ई–वे बिल सिस्टम का प्रबंधन करने के लिए सबयूजर बना सकते हैं। इन उपयोगकर्ताओं को अलग–अलग भूमिकाएं भी सौंपी जा सकती हैं हालांकि, करदाताओं को इन उपयोगकर्ताओं को सृजित करते समय ध्यान रखना चाहिए। जब भी कर्मचारी /ऑपरेटरों /प्रबंधकों को बदलना होता है, उन्हें पासवर्ड बदलना चाहिए या खाते को फ्रीज करना चाहिए ताकि खाते का उपयोग नहीं किया जा सके।

अन्य सुविधाओं के लिए ध्यान से पंजीकृत करें– पंजीकरण के लिए अन्य सुविधाएं हैं। वे एसएमएस आधारित हैं और एंड्रॉइड आधारित ई–वे बिल प्रबंधन और एक ट्रांसपोर्टर के रूप में काम करने के लिए पंजीकरण। याददाश्त उपयोग से बचने के लिए इन सुविधाओं का उपयोग करते समय अत्यंत सावधानी बरती जाए। मापदंडों टाइप करते समय गलती से बचने के लिए एसएमएस आधारित

ई–रास्ता बिल को सावधानीपूर्वक तैयार करना होगा ट्रांसपोर्टर के रूप में पंजीकरण करदाताओं को अन्य पार्टियों के लिए ट्रांसपोर्टर के रूप में ई–वे बिल बनाने के लिए सुविधा प्रदान करता है

एपीआई इंटरफेस– बड़ी संख्या में ई–वे बिल उत्पन्न करने वाले बड़े कर दाताओं के लिए सबसे अच्छा तरीका एपीआई इंटरफेस है। यह ई–वे बिल जनरे ान के लिए सिस्टम से साइट–टू–साइट एकीकरण है। इस पद्धति में, करदाता प्रणाली अपने सिस्टम में इनवॉइस का सृजन करते समय ई–वे बिल प्रणाली का अनुरोध करेगा और ई–वे बिल नंबर प्राप्त करेगा। यह इनवॉइस दस्तावेज पर मुद्रित किया जा सकता है और माल की गति शुरू किया जा सकता है। यह डुप्लिकेट डेटा प्रविष्टि से बचा जाता है और पूर्ण डेटा प्रविष्टि गलतियों को समाप्त करता है। इस सुविधा का उपयोग करने के लिए, करदाताओं को इस सेवा के लिए विभाग से अनुरोध करना होगा।